

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(3)साप्र / 5 / 2016

जयपुर, दिनांक: ०८/०३/२०१८

—: आदेश :—

इस विभाग के समसंब्यक आदेश क्रमांक: प.4(3)साप्र / 5 / 2016 दिनांक: 12.02.2018 के द्वारा निम्नांकित आवंटी को उनकी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर के अस्थाई आवास का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश **एतद्वारा निरस्त** किये जाते हैं:—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	ग्रेड-पे	वरियता संख्या	आवंटित आवास संख्या
1	डॉ० कृष्ण कुमार मावर, सहायक आचार्य (सीटीवीएस), सर्वाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	6600/-	04/TH 2018	G 1/3 NTH

राज्यपाल की आज्ञा से

६०

(गौरव बजाड़)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
- संबंधित विभागाध्यक्ष।
- कोषाधिकारी, सचिवालय / कोषाधिकारी, शहर, जयपुर।
- संबंधित अधिकारी।
- सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
- सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग—कृपया आदेश को वेबसाइट पर डाले।
- रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(3)साप्र / 5 / 2016

जयपुर, दिनांक: 08/03/2018

—:: आज्ञा :: —

ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर आवंटन इस विभाग के दिशा-निर्देश संख्या एफ.7(2)साप्र / 5 / 06 दिनांक 27.10.2006 एवं इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 16.03.2016 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित आवास एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आवास उपलब्ध होने तक, जो भी पूर्व हो, तक के लिए निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई रूप से आवंटित किया जाता है:-

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है, जिसका कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त करना होगा।
2. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार किराया भत्ता देय नहीं होगा।
3. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि अग्रिम वसूली प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर द्वारा की जावेगी।
4. संबंधित अधिकारी के विरुद्ध ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावें।
5. संबंधित अधिकारी को मूल वेतन प्रमाण-पत्र प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थानान्तरण / सेवानिवृति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जाएगी तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवास रिक्त करना होगा।
7. आवंटी को सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र, गत भुतगान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, उपलब्ध कराना होगा।
8. समय-समय पर इस विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	ग्रेड-पे	वरियता संख्या	आवंटित आवास संख्या
1.	श्री रामनिवास बुगालिया, आर०ए०एस० (प्रशिक्षु), हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	5400/-	07/TH 2018	3 OTH
2	श्री दीपांशु सांगवान, आर०ए०एस० (प्रशिक्षु), हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	5400/-	14/TH 2018	8 OTH
3	श्री रामवतार मीणा, आर०ए०एस० (प्रशिक्षु), हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	5400/-	15/TH 2018	20 OTH
4	श्रीमती शालिनी माथुर, लेखाधिकारी (प्रशिक्षु), हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	5400/-	06/TH 2018	G-3/3 NTH
5	श्री विशाल अग्रवाल, लेखाधिकारी (प्रशिक्षु), हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	5400/-	08/TH 2018	G-5/2 OTH

राज्यपाल की आज्ञा से

(गौरव बजाड़)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह तक प्राप्त कर विभाग को अवगत करावें। निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जावेगा।
2. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर— कृपया आवास का कब्जा देने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें कि आवंटी आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अब तक उनके विभाग में जयपुर में ही पदस्थापित है तथा आवंटी से सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र, गत भुतगान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, प्राप्त करें।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय / कोषाधिकारी, शहर, जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग— आवंटी को वरियतानुसार नियमित आवास आवंटित करवाकर अवगत करावें।
6. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग—कृपया आवंटन पत्र वेबसाईट पर डालें।
7. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव